

कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांक: E-102

/64/मनरेगा-सेल/2016-17

दिनांक: 13 अप्रैल, 2016

—:कार्यालय आदेश:—

विषय: मनरेगा योजनान्तर्गत “चारागाह विकास परियोजना” के संबंध में।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के नरेगा अभिसरण दिशा-निर्देश के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार (मनरेगा डिवीजन) द्वारा चारागाह भूमि विकास के लिए एडवार्डिजरी के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यो की श्रेणी में है। वन चारागाह का कार्य मनरेगा योजना अन्तर्गत ग्राम समाज/पंचायत/राजस्व/वन भूमि पर किया जा सकता है। कुछ प्रकार की बाढ़बन्दी, खाई बनाना आदि कार्य भी मनरेगा के अन्तर्गत किया जा सकता है। उपरोक्त कार्य श्रम सामग्री से 60:40 के अनुपात में ही कराये जायेंगे। इसी के दृष्टिगत विभिन्न राजस्व ग्रामों में चारागाह हेतु आरक्षित भूमि में मनरेगा से चारागाह का विकास करने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना “चारागाह विकास परियोजना” तैयार की गयी है। इस हेतु जनपद की समस्त विकास खण्डों में प्रति विकास खण्ड 25 है० क्षेत्रफल (जनपद में 375 है० क्षेत्रफल) में सामुदायिक भूमि पर चारागाह का विकास करते हुए अभियान में लगभग 843000 मानव दिवसों का सृजन किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से पशुपालक समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर गरीब एवं महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक स्तर में सुधार किया जायेगा। जनपद की तहसीलों में चारागाह हेतु आरक्षित भूमि में चारागाह विकास हेतु तहसीलवार/विकास खण्डवार निम्न प्रकार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है:-

क० सं०	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	चारागाह हेतु न्यूनतम निर्धारित लक्ष्य (है० में)
1	सदर	भावलखेड़ा	25
2		ददरौल	25
3		कॉट	25
4		मदनापुर	25
5	जलालाबाद	जलालाबाद	25
6		मिर्जापुर	25
7		कलान	25
8	पुर्वोया	खुटार	25
9		पुर्वोया	25
10		सिंधौली	25
11		बण्डा	25
12	तिलहर	निगोही	25
13		जैतीपुर	25
14		कटरा खुदागंज	25
15		तिलहर	25
योग			375

1- सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विभिन्न ग्राम पंचायतों में चारागाह हेतु आरक्षित भूमि की सूचना निम्न प्रारूप पर 17.04.2016 के अपरान्ह तक उपायुक्त (श्रम रोजगार), शाहजहाँपुर को उपलब्ध करायेगें।

तहसीलदार का नाम:-

प्रारूप

क० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम	चारागाह का गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल	मौके पर रिक्त है अथवा नहीं?	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

2- उपायुक्त (श्रम रोजगार), विकास भवन, शाहजहाँपुर उक्त प्रारूप पर चयनित चारागाह के स्थलों की सूची खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करायेगें। खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड में तैनात अवर अभियंता/तकनीकी सहायकों से स्थलीय स्थिति के अनुसार सहायक अभियंता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा तैयार किये गये संलग्न मॉडल प्राक्कलन के आधार पर आंगणन सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति सहित तैयार कराकर तथा ग्राम पंचायतों की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए उपायुक्त (श्रम रोजगार), शाहजहाँपुर को दिनांक 30.04.2016 तक आंगणन की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए योजना का क्रियान्वयन करायेगें। उपरोक्त कार्य मॉडल प्राक्कलन के अनुसार ग्राम पंचायतों में प्राक्कलन तैयार कराने, सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान कराने तथा प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ कराने तथा समय से पूर्ण कराने हेतु कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

